न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा, आरएएस

राजस्व वाद संख्या 36/2018

गंगाराम पुत्र स्व. नन्दा उर्फ नन्दाराम जाति मेघवाल उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.... वादी ....

बनाम

1. स्वर्गीय मालाराम पुत्र स्व. नन्दा उर्फ नन्दाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/1 श्रीमती काली देवी पत्नी स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/2 गुलाब पुत्री स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/3 छोटूराम पुत्र स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/4 मीरां पुत्री स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/5 रेवन्तराम पुत्र स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/6 सम्पू पुत्री स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

1/7 सायर पुत्री स्व. मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान
4. श्रीमान/ मैनेजर साहब एस.बी.बी.जे. (एस.बी.आई.) शाखा साण्डवा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान

.... प्रतिवादीगण ....

5. श्रीमती बाली पुत्री स्व. नन्दाराम पत्नी गोमदराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम जैसलसर तहसील नोखा जिला–बीकानेर (राजस्थान)
6. श्रीमती पारू पुत्री स्व. नन्दाराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम बाढ़सर तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

...... गौणप्रतिवादीगण......

दावा घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्ती

लगातार ..... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़ व श्री अमरसिंह राठौड़ वादी की ओर से
2. विद्वान अधिवक्ता श्री सुल्तान सिंह मेघवाल प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एवं गौण प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरुद्ध एकतरफा

निर्णय

दिनांक 8/6/22

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादीगण के पिता स्व. नन्दा उर्फ नन्दाराम के कब्जा काश्त के खेत साबिका खसरा नंबर 166 तादादी 52 बीघा 3 बिश्वा वर्तमान खसरा नंबर 369 तादादी 2.4787 हैक्टेयर (9 बीघा 16 बिश्वा) व खसरा नंबर 1033/381 तादादी 3.4272 हैक्टेयर (13 बीघा 11 बिश्वा) एवं खसरा नंबर 1034/381 तादादी 5.9058 हैक्टेयर (23 बीघा 7 बिश्वा) कुल तादादी 46 बीघा 14 बिश्वा वाके रोही जोगलसर में स्थित है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी गलत अंकित चली आ रही है। वादगत भूमि स्व. नन्दा के खुद काश्त के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में सम्वत् 2002 से 2011 तक कृषक के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज होता रहा है। सम्वत् 2011 में स्व. नन्दा के फौत हो जाने के बाद वादी के बाल्यवस्था में परिवार का कर्ता प्रतिवादी संख्या 1 मालाराम था, वादी सम्वत् 2011 से वादगत भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहकाश्तकार के रूप में काबिज रहा है। वादी नाबालिक होने के कारण वादी का संरक्षक प्रतिवादी संख्या 1 था तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त परिवार में रहकर सम्वत् 2033 में आखातीज के दिन वादगत भूमि का आपसी बाहामी बंटवारा कर लिया जिसमें वादी के हिस्से पांति में वादगत सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि दी गयी जो खेत खसरा नम्बर 1034/381 तादादी 5.9058 हैक्टेयर दी थी, जिस पर वादी का साधिकार पूर्वक कब्जा काश्त करीब 36 वर्षो से चला आ रहा है। शेष वादगत भूमि पर वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 मालाराम का कब्जा काश्त था। प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान 1/1 ता 1/7 का कब्जा, काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में वादगत भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 के नाम गलत दर्ज कर दी गई है। वादी को मई 2018 में जमाबंदी की नकल लेने पर गलत खातेदारी के अंकन का ज्ञान हुआ तथा वादी ने खातेदारी प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित आया और अपना जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित ने अपना जवाब पेश किया प्रतिवादी संख्या 3 व 4 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 उपस्थित आये और वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यू 1 के रूप में करवाये गये दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खेत खसरा नम्बर 1033/381 व खसरा नम्बर 369 प्रदर्श 1 व जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खेत खसरा नम्बर 1034/381 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, जमाबंदी सम्वत् 2002 प्रदर्श 5, जमाबंदी सम्वत् 2010 प्रदर्श 6, जमाबंदी सम्वत् 2011 प्रदर्श 7, नामांतरण संख्या 27 प्रदर्श 8, कानूनी नोटिस प्रदर्श 9, रजिस्ट्री रशिदात प्रदर्श 10 व 11 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस सूनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पक्षकारान के अधिवक्ता ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, राजीनामा के अनुसार दावा डिग्री किये जाने का कथन किया। वादी गंगाराम ने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ता 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं तथा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार ..... 3 पर

Scanned with CamScanner

र्श 5 पेमाईश जमाबंदी में वादगत भूमि वादी के पिता नन्दा पुत्र मंगला के नाम से इंद्राज है व जमाबंदी सम्वत् 2010 प्रदर्श 6, जमाबंदी सम्वत् 2011 प्रदर्श 7 में भी नन्दा वल्द मंगला के नाम से इंद्राज है। इससे ये साबित है कि वादगत भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण के पिता व दादा का कब्जा काश्त था और वादी के पिता के मालिकाना अधिकार की वादगत भूमि थी तथा प्रदर्श 8 नामांतरण संख्या 27 के आधार पर धारा 15 के तहत ग्राम पंचायत कल्याणसर द्वारा दिनांक 20.05.1958 को प्रतिवादी संख्या 1 मालाराम के नाम से खातेदारी दी गई है वो अवैध है ग्राम पंचायत को धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार देने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। वादगत भूमि की खातेदारी ग्राम पंचायत कल्याणसर ने धारा 15 के तहत खातेदार अधिकार माला वल्द नन्दा को विधि विरूद्ध तरीके से दिए हैं जो खिलाफ कानून हैं। उक्त प्रदर्श 8 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत कल्याणसर ने धारा 15 के तहत विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 मालाराम के नाम से गलत खातेदारी अधिकार दिए हैं जो वादी के अधिकारों के समक्ष शून्य व निष्प्रभ हैं। पत्रावली पर पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है तथा स्व. मालाराम के वारीसान में उसकी लड़कियाँ 1/2 गुलाब, 1/4 मीरा, 1/6 सम्पू, 1/7 सायर ने राजीनामा में यह स्वीकार किया है कि वो वादगत भूमि में से अपना हक/हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा स्व. मालाराम की पुत्रियों ने अपने हिस्से पांति की भूमि की खातेदारी उनकी माता 1/1 काली देवी, 1/3 छोटूराम व 1/5 रेवंतराम के नाम से दर्ज कर दी जावे, जिसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा वादी गंगाराम के नाम से खेत खसरा नंबर 1034/381, मिन तादादी 20 बीघा 10 बिश्वा पूर्वी ओर की भूमि की खातेदारी दर्ज कर दी जावे। अतः राजीनामा के अनुसार दावा डिग्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा अंतिम रूप से डिग्री किया जाता है कि खेत खसरा नंबर 1034/381 तादादी 5.9058 हे., खसरा नंबर 1033/381 तादादी 3.4272 हे. व खसरा नंबर 369 तादादी 2.4787 हे. वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्त व संशोधित कर स्वर्गीय मालाराम की पुत्रियां गुलाब, मीरा, सम्पू, सायर का नाम वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर खेत खसरा नम्बर 1034/381 मिन तादादी 20 बीघा 10 बिश्वा पूर्वी ओर की भूमि का वादी गंगाराम को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी अकेले गंगाराम के नाम से खेत खसरा नम्बर 1034/381 मिन तादादी 20 बीघा 10 बिश्वा पूर्वी ओर की भूमि की खातेदारी अलग से दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं व खेत खसरा नम्बर 369 तादादी 2.4787 हे., खेत खसरा नम्बर 1033/381 तादादी 3.4272 हे. व खेत खसरा नम्बर 1034/381 मिन तादादी 2 बीघा 17 बिश्वा पश्चिमी ओर की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1/1 काली देवी, प्रतिवादी संख्या 1/3 छोटूराम व प्रतिवादी संख्या 1/5 रेवंतराम के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तथा वादी गंगाराम के आवागमन के खेत खसरा नम्बर 369 व खसरा नं. 1033/381 के बीच में चल रहे कटाणी मार्ग से होकर खेत खसरा नम्बर 1033/381 के उत्तरी सींव के पास–पास से होकर खेत खसरा नम्बर 1034/381 की उत्तरी सींव के सारे–सारे 13 फुट चौड़ा रास्ता खुला रहेगा। उक्त रास्ते को वादी व प्रतिवादीगण बंद नहीं करेंगे। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिग्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिग्री जारी हो, खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 8/6/22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner